

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(उत्पाद शाखा)
बन्दोवस्ती सूचना

एतद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम चार माह अर्थात् बन्दोबस्ती की तिथि से दिनांक-31.07.2017 तक की अवधि के लिए पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला की देशी शराब-मसालेदार देशी शराब की 13(तेरह) विदेशी शराब की 16(सोलह) एंव एक ही परिसर में देशी शराब-मसालेदार देशी एंव विदेशी शराब खुदरा बिक्री की 2(दो) कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञप्तियों की एकल रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रकाशित बिक्री अधिसूचना की शर्तों एंव बंधेजो के अन्तर्गत अब केवल ऑनलाईन विधि से प्राप्त आवेदन के योग्य आवेदको के बीच लॉटरी के माध्यम से दिनांक-26.04.2017 को 11:00बजे पूर्वा० उपायुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा के सभाकक्ष में बन्दोबस्ती की कारवाई संपन्न की जाएगी।

बन्दोबस्ती हेतु इच्छुक आवेदक अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के लिए बेवसाईट jhr.nic.in/exciselottery पर लॉग-इन कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 24.4.2017 एंव आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25.4.2017 है। बन्दोबस्ती की अन्य शर्तें यथावत रहेगी। बन्दोबस्ती हेतु विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में अधीक्षक उत्पाद, प.सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय (घंटा घर चौक) से प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन पत्र आवश्यक शपथ पत्र का प्रारूप एंव बिक्री अधिसूचना का अवलोकन झारखण्ड सरकार के बेवसाईट www.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है।

उपायुक्त

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ।